

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
ललितपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, रामपुर, महोबा, बहराइच एवं लखीमपुर खीरी।

पत्रांक: 002-O Level P/ 2192 /पि0व0क0/क0प्र0/2016-17 दिनांक: 28 मार्च, 2017

विषय :आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2016-17 में पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए "ओ लेवल" कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए 'ओ' लेबल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यय हेतु आयोजनागत पक्ष में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000.00 (रूपया दस करोड़ मात्र) की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 18/2016/271/64-2-2016-1(17)/2016, दिनांक 06 जून, 2016 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति धनराशि में से रू0 36,70,000.00 (रूपया छत्तीस लाख सत्तर हजार मात्र) का आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के संलग्न कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में अंकित दिशा निर्देशों, संगत वित्तीय नियमों एवम् आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।
2. लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली सहायता उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के 'ओ' लेबल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु प्रचलित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।
3. स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2225 -अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनागत-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-09-पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के नामें डाला जायेगा।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सम्पूर्ण, मुख्य, उपमुख्य, लघु तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनागत' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबर की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।
6. सम्बन्धित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि इस योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली धनराशि का प्रत्येक माह सत्यापन कर

तद्विषयक रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से प्रमाणित करा कर निदेशालय को प्राप्त करायेंगे।

7. बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में विभागीय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा आबंटन के सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में वाउचर संख्या तिथि तथा आहरित धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर भेजना सुनिश्चित किया जाय। अनुपालन न करने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

8. कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखा-जोखा रखना अनिवार्य होगा।

9. उक्त से संबन्धित व्यय विवरण अनिवार्य रूप से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध करा दें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आबंटन निदेशालय आबंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 40 से 45 पर अंकित है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,



(सुषमा रानी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी



(महेश कुमार गुप्ता)

निदेशक।

पृ0स0: 002-O Level P/ 2192 /पि0व0क0/क0प्र0/2016-17, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
3. समस्त सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1/3, उ0प्र0 शासन।
5. नियोजन अनुभाग-4
6. सम्बन्धित जोन प्रभारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. योजना अधिकारी, मुख्यालय।



(सुषमा रानी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

etc

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-28/03/2017

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 002-O LEVEL PLAN
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े(आयोजनागत-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
277 - शिक्षा
09 - पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को कम्प्यूटर

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	योग
1	लखीमपुर खीरी-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	355000 2365000	355000 2365000
2	बहराइच-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1065000 2805000	1065000 2805000
3	ललितपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 2115000	1500000 2115000
4	फिरोजाबाद-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	450000 1710000	450000 1710000
5	महोबा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 750000	300000 750000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3670000 9745000	3670000 9745000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस लाख सत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तानवे लाख पैतालीस हजार


(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी